

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/दन्त तकनी0/ /2018/

दिनांक :

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/दन्त तकनीशियन/सीधी भर्ती/2015/756 दिनांक 06.11.15 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अंतर्गत दन्त तकनीशियन के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। निम्नलिखित दन्त तकनीशियन जिन्होंने दो वर्ष की परीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है तथा कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है। इन्हे परीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 15(1)एफ.डी.(रूल्स)/ 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में पद की पै मैट्रिक्स एल 5 में न्यूनतम वेतन रुपये 20800 एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे :-

क्र. स.	कर्मचारी / पिता का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	कार्य ग्रहण तिथि	परीक्षा काल पूर्ण करने की तिथि	स्थाईकरण दिनांक
1.	श्री पूजा रानी पुत्री श्री जयपाल सिंह	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय अजीतगढ (सीकर)	28.12.1991	18.11.2015	17.11.2017	18.11.2017
2.	श्री अमित कुमार सैनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सैनी	प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. दन्त विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर	15.06.1988	09.11.2015	08.11.2017	09.11.2017
3.	श्री वसीम अहमद पुत्र श्री खालिक खान	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गाँधी चिकित्सालय, बांसवाडा	05.07.1989	18.11.2015	17.11.2017	18.11.2017
4.	श्री सरफराज खान पुत्र श्री नूर मोहम्मद	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, एसडीएम राजकीय जिला चिकित्सालय, बीकानेर	24.12.1987	23.11.2015	22.11.2017	23.11.2017
5.	श्री शैलेश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री हृदयानन्द पाण्डेय	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय नाथद्वारा	10.07.1983	20.11.2015	19.11.2017	20.11.2017
6.	श्री दीपक लाम्बा पुत्र श्री मनीराम	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	29.12.1992	19.11.2015	18.11.2017	19.11.2017
7.	श्री महेश कुमार जांगिड पुत्र श्री कल्याण साही जांगिड	प्रा0स्वा0केन्द्र छावड़ा (बारो)	15.07.1978	20.11.2015	19.11.2017	20.11.2017

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/दन्त तकनी0/ /2018/ 41

दिनांक : 18.11.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज/सीएचएचओ/पीएमओ/सीएचसी/पीएचसी।
2. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज. जयपुर